न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 26 सन 2020/ऑन लाईन नम्बरः–2020/01358

अनवान :–

1. सतवीर पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्णा पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी।
2. बसंन्त पुत्र रोशनी पुत्री हरिराम जाति जाट निवी डबलीकला तहसील टिब्बी
3. विकास पुत्र रोशनी पुत्री हरिराम जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी
4. सरस्वती पत्नि रामकुमार जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी
5. ममता 6 मोनिका 7 पूनम पि0 रामकुमार जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. अनिल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 652/638 की कुल 14.1260हैक में से प्रतिवादी संख्या 8 का 30983/127134हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 5059/421378हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रत्येक का 5059/84756हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 का 5059/254268हिस्सा व वादी का 30.983/127134 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी की दादी कलावती एवं दादा हरिराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस कृष्णा , रोशनी व रामकुमार है तथा रोशनी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है रामकुमार का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 है प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बुआ के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी की बहने है।

वादी की दादी एव दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हो चुकी है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम विरास्तन से भूमि दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 जो वादी की बहन /भुआ/बुआ के वारिस है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,8 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,8 अपने हक हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज दादी कलावती एवं दादा हरिराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 3 ता 3 ,5 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,8 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ,8 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 652/638 की कुल 14.1260हैक में से प्रतिवादी संख्या 8 का 30983/127134हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 5059/421378हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रत्येक का 5059/84756हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 का 5059/254268हिस्सा व वादी का 30.983/127134 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी की दादी कलावती एवं दादा हरिराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस कृष्णा , रोशनी व रामकुमार है तथा रोशनी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है रामकुमार का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 है प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादी की बुआ के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी की बहने है।

वादी की दादी एव दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हो चुकी है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम विरास्तन से भूमि दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 जो वादी की बहन /भुआ/बुआ के वारिस है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,8 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 652/638 की कुल 14.1260हैक में से प्रतिवादी संख्या 8 का 30983/127134हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 5059/421378हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रत्येक का 5059/84756हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 का

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

Scanned with CamScanner

5059/254268हिस्सा व वादी का 30.983/127134 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वर्तमान के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 652/638 की कुल 14.1260हैक में से प्रतिवादी संख्या 8 का 30983/127134हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 5059/421378हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रत्येक का 5059/84756हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 का 5059/254268हिस्सा व वादी का 30.983/127134 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वादी के दादा कलावती एवं दादा हरिराम के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 5 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या ,4 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 652/638 की कुल 14.1260हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5,6,7 का नाम कलजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज 30983/127134हिस्सा में से 0.281हैक जो रहन मुक्त है के वादी व प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सतवीर पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कृष्णा पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी।
2 बसंन्त पुत्र रोशनी पुत्री हरिराम जाति जाट निवी डबलीकला तहसील टिब्बी
3 विकास पुत्र रोशनी पुत्री हरिराम जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी
4 सरस्वती पत्नि रामकुमार जाति जाट साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी
5 ममता 6 मोनिका 7 पूनम पि0 रामकुमार जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8 अनिल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 796 सन 2020 निर्णय दिनांक– 21/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 652/638 की कुल 14.1260हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5,6,7 का नाम कलजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज 30983/127134हिस्सा में से 0.281हैक जो रहन मुक्त है के वादी व प्रतिवादी संख्या 4 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner